राजस्थान सरकार
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
(अनुभाग–3)

क्रमांक एफ 1(2)ग्रावि/नरेगा/माद/बारां/2010 जयपुर, दिनांक : 12/7/2011.

12 JUL 2011

जिला कलेक्टर एवं जिला कार्यक्रम समन्वयक
महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम राजस्थान,
उदयपुर ।

विषय :– पंचायत समिति कोटड़ा एवं झाडोल में निवासरत ''कथौड़ी'' जनजाति को महात्मा गांधी नरेगा योजना में 200 दिन का रोजगार उपलब्ध करवाने बाबत ।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि उदयपुर जिले की पंचायत समिति कोटडा एवं झाडोल में निवास करने वाली कथौड़ी जाति के परिवारों द्वारा 100 दिवस का निर्धारित रोजगार पूर्ण करने के पश्चात 100 दिवस का अतिरिक्त रोजगार अर्थात वित्तीय वर्ष 2011–12 के दौरान कुल 200 दिवस का रोजगार प्रति परिवार उपलब्ध कराये जाने की अनुमति प्रदान की जाती है। इस प्रकार से उपलब्ध कराये जाने वाले 100 दिवस से अतिरिक्त रोजगार पर होने वाला व्यय राज्य मद से वहन किया जायेगा।

कथौड़ी परिवारों के अतिरिक्त रोजगार दिये जाने हेतु निम्नामानुसार कार्यवाही की जावे:–

1. योजनान्तर्गत मेट का नियोजन विभाग द्वारा मेट के नियोजन के संबन्ध में जारी दिशा निर्देशों के अनुरूप ही किया जायेगा।
2. ऐसे कथौड़ी परिवार जो कि महात्मा गांधी नरेगा योजनान्तर्गत 100 दिवस का रोजगार पूर्ण कर लेंगे, उन्हें ही राज्य मद में 100 दिवस का अतिरिक्त रोजगार उपलब्ध कराया जायेगा।
3. इस प्रकार से उपलब्ध कराये जाने वाले रोजगार का विवरण परिवार के पास उपलब्ध जॉबकार्ड में एक अतिरिक्त शीट लगाकर किया जायेगा, जिसके टाइटल पर ''राज्य सरकार द्वारा उपलब्ध कराये गये अतिरिक्त रोजगार का विवरण'' स्पष्ट अंकित किया जायेगा।
4. अतिरिक्त उपलब्ध कराये गये रोजगार का अंकन ग्रामवार रोजगार रजिस्टर संख्या 7 में संबन्धित परिवार के 100 दिवस पूरे होने के पश्चात राज्य सरकार द्वारा उपलब्ध कराये गये अतिरिक्त रोजगार शीर्षक से उसी पृष्ठ पर किया जायेगा।
5. राज्य मद में उपलब्ध कराये जाने वाले रोजगार के लिये पृथक से मस्टररोल का उपयोग किया जायेगा। यह मस्टररोल भी ई–मस्टररोल ही होगी परन्तु इसका इन्द्राज एमआईएस पर नहीं किया जायेगा।
6. राज्य मद में उपलब्ध कराये जाने वाले रोजगार का विवरण पृथक से रखा जायेगा एवं प्रतिमाह इसकी सूचना संलग्न प्रपत्र में विभाग को उपलब्ध करायी जायेगी।

उक्त निर्देश वित्त विभाग के आई.डी. संख्या 101102076 दिनांक 27.06.2011 से प्राप्त स्वीकृति के अनुरूप जारी किये जा रहे है।

भवदीय

संलग्न–**उपरोक्तानुसार ।**

(सी.एस.राजन)
अतिरिक्त मुख्य सचिव

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. निजी सचिव, सचिव, मुख्यमंत्री जी।
2. विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री ग्रामीण विकास एवं पंचायतीराज विभाग।
3. अतिरिक्त जिला कार्यक्रम समन्वयक प्रथम एवं द्वितीय, महात्मा गांधी नरेगा राजस्थान एवं मुख्य/अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद उदयपुरं।
4. रक्षित पत्रावली।

परि.निदे.एव उप सचिव, ईजीएस

	कथोड़ी परिवारों के 100 दिन से अतिरिक्त रोजगार की प्रगति सूचना माह का नाम										
पंचायत समिति	कथोड़ी परिवारों की कुल संख्या	महात्मा गांधी नरेगा योजनान्तर्गत 100 दिवस का रोजगार पूर्ण करने वाले कथोड़ी परिवारों की संख्या	100 दिवस के अतिरिक्त रोजगार दिये गये परिवारों की संख्या		अतिरिक्त सृजित मानव दिवस	परिवारों की संख्या जिन्हें 100 दिवस के अतिरिक्त रोजगार उपलब्ध कराया गया					उपलब्ध कराये गये अतिरिक्त रोजगार पर किया गया व्यय (रूपये लाखों में)
			माह के दौरान	माह तक कुल		15 दिवस से कम	15 से 30 दिवस	30 से 50 दिवस	50 से 75 दिवस	75 से 100 दिवस	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
कोटडा											
झाड़ोल											

C:\Documents and Settings\mukesh\Desktop\Format for Sahariya